

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART II, SECTION 3 SUB-SECTION (ii) DATED THE ~~28th~~ APRIL, 1998

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the ~~28th~~ April, 1998

NOTIFICATION
INCOME-TAX

S.O. (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 139A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes number S.O.123(E) dated the 11th February, 1998 and specifies the date from which the persons referred to in sub-sections (1) and (2) of section 139A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and other persons who have been allotted permanent account numbers, other than under the new series, shall apply to the Assessing Officer for the allotment of a permanent account number under the new series, namely:-

In the said notification, in paragraph 1, after sub-clause (b), for the words, figures and letters "shall apply before the 30th day of April, 1998 in respect of assessment year 1997-98", the words, figures and letters "shall apply before the 30th day of June, 1998 in respect of assessment year 1997-98" shall be substituted.


(D. KARUNAKARA RAO)

Under Secretary to the Government of India

F.No.142/1/98-TPL

No. 10582

भारत के असाधारण राजपत्र के भाग ॥ खंड 3 उपखण्ड ॥ 11 ॥ में दिनांक 28 अप्रैल, 1998 को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 1998

अधिसूचना

आय-कर

का०आ० § अ० आयकर अधिनियम, 1961 § 1961 का 43 § की धारा 139क की उपधारा § 4 § द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना सं० का.आ. 123 § अ० दिनांक 11 फरवरी, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करता है और वह तारीख विनिर्दिष्ट करता है जिससे आयकर अधिनियम, 1961 § 1961 का 43 § की धारा 139क की उपधारा § 1 § और § 2 § में संदर्भित व्यक्ति और नई श्रृंखलाओं के अन्तर्गत शामिल किए गए व्यक्तियों के अलावा, अन्य व्यक्ति जिन्हें स्थाई लेखा संख्या आबंटित किए गए हैं, नई श्रृंखलाओं के अन्तर्गत स्थाई लेखा संख्या के आबंटन के लिए कर-निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगी, नाममा:-

"उपर्युक्त अधिसूचना में पैरा 1 में, उपखण्ड § 3 § के बाद शब्द, अक्षर और अक्षर "कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के संबंध में 30 अप्रैल, 1998 से पहले लागू होगी ।" के स्थान पर "कर-निर्धारण वर्ष 1997-98 के संबंध में 30 जून, 1998 से पहले लागू होगी " शब्द अक्षर और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

डी. कर्णाकर राव

अवर सचिव, भारत सरकार

फा० सं० 142/1/98 -टी पी एल

सं० 10582